## To Solve the problem of Dust Storm

**86. Sh. Pardeep Chaudhry, MLA: Will the Environment, Forests & Wildlife Minister be pleased to state:**

Whether it is a fact that the people living in the area from Tangri Bridge to Tirlokpur Chowk in the Kalka Assembly Constituency have accursed to live under the nuisance of perpetual dust storm; if so, the reasons of the dust storm togetherwith the steps taken or likely to be taken by the Government to solve this problem which is affecting the health of people in this area?

**SH. KANWAR PAL, MINISTER OF ENVIRONMENT, FORESTS & WILDLIFE**

**Reply:-**

The samples of ambient air quality were collected by the Regional Office, Panchkula Region on dated 21.08.2023 to ascertain the quality of air in the area in question from 03 locations i.e. 1) Tirlokpur Chowk in Raipur Rani; 2) M/s Mata Bala Sundry Screening Plant, Raipur Rani; 3) 300 Mtr. away from Tirlokpur Chowk in Raipur Rani. As per analysis report no. 656 dated 22.08.2023 of Tirlokpur Chowk, the parameters for $PM_{10}$ are exceeding the prescribed limits of National Ambient Air Quality Standards issued by the Central Pollution Control Board. The Analysis reports no. 657 and 658 dated 22.08.2023 of M/s Mata Bala Sundry Screening Plant and 300 Mtr. away from Tirlokpur Chowk in Raipur Rani respectively are within the prescribed limits.

As per record, 37 screening plants are established in the area of Tangri Bridge to Tirlokpur Chowk, out of which 02 screening plants were closed and sealed by the Haryana State Pollution Control Board and 02 screening plants are lying closed on their own. Currently, 33 screening plants are operating with the valid consent and are complying with the notification dated 10.03.2016 for screening plants.

Further, the screening plants have wet process involved in which the material is cleaned and washed using water. All screening plants have commonly hired 02 tractors fitted with tankers for regular sprinkling of water on the road for dust suppression and logbook is being maintained. Each screening plant has provided barrier of trees/flexible cloth on the outer periphery, as per screening plant notification dated 10.03.2016 to mitigate dust emissions due to vehicular movement inside the plant area. Regional Officer, Panchkula had also requested the RTO vide letters dated 09.04.2022 & 15.06.2023 for challaning of the trucks/dumpers/trolleys which are found not covered by tarpaulins.

*******

## धूल भरमार की समस्या का समाधान करना

**86. श्री प्रदीप चौधरी, विधायकः क्या पर्यावरण वन, एवंम वन्य जीव मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगेंः–**

क्या यह सत्य है कि कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टांगरी पूल से त्रिलोकपुर चौक तक के क्षेत्र में लोगों का जीवन निरंतर धूल भरमार के लोककण्डक में जीना अभिशप्त हो गया है; यदि ऐसा है तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गऐ कदम या उठाने जाने के लिए सम्भाव्य कदमों सहित धूल भरमार के कारण जो इस क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं।

**श्री कंवर पाल, पर्यावरण, वन एवंम वन्य जीव मंत्री**

**उत्तरः–**

परिवेशी वायु गुणवत्ता के नमूने तीन स्थानों अर्थात् (1) रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक; (2) मैसर्ज, माता बाला सुन्दरी स्क्रीनिंग प्लांट, रायपुर रानी; (3) रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक से 300 मीटर दूर से प्रश्नगत क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए दिनांक 21.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला क्षेत्र द्वारा एकत्रित किए गए थे। त्रिलोकपुर चौक की विश्लेषण रिपोर्ट 656 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार पैरामीटर विविक्त पदार्थ ($PM_{10}$) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुण मानकों की निर्धारित सीमा से अधिक हैं। क्रमशः मैसर्ज माता बाला सुन्दरी स्क्रीनिंग प्लांट तथा रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक से 300 मीटर दूर की विश्लेषण रिपोर्ट नम्बर 657 तथा 658 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार निर्धारित सीमा में हैं।

रिकॉर्ड के अनुसार टांगरी पुल से त्रिलोकपुर चौक के क्षेत्र में 37 स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित किए गए है, जिसमें से 2 स्क्रीनिंग प्लांट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ द्वारा बंद तथा सील्ड (मोहरबंद) हैं तथा 2 स्क्रीनिंग प्लांट स्वयं से बन्द पड़े है। इस समय, 33 स्क्रीनिंग प्लांट बोर्ड की वैध सहमति से संचालित किए जा रहे है तथा स्क्रीनिंग प्लांट के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 की पालना कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, स्क्रीनिंग प्लांटों में गीली प्रक्रिया शामिल है, जिसमें पानी का प्रयोग करके सामग्री साफ की जाती हैं तथा उसकी धुलाई की जाती है। सभी स्क्रीनिंग प्लांटों में धूल के दमन के लिए सड़क पर पानी का नियमित छिड़काव के लिए टैंकरों से फिटिड सामूहिक रूप से 02 ट्रैक्टर हायर किए गए हैं तथा लोकबुक अनुरक्षित की जा रही है। प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लांट क्षेत्र के भीतर वाहनीय संचलन के कारण धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए स्क्रीनिंग प्लांटों के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 10.03.2016, के अनुसार प्लांटों में बाहरी परिधि पर वृक्षों/लचीले कपडे की रोक मुहैया कराई गई है। क्षेत्रीय अधिकारी, पंचकूला ने ट्रकों/डम्परों/ट्रालीयाँ जिन पर तिरपाल नहीं पाया जाता है को चालान करने के लिए पत्र दिनांक 09.04.2022 तथा 15.06.2023 द्वारा आर टी ओ से भी अनुरोध किया गया था।

******